न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–241/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/241)

1. घासी पुत्र देवा
2. कंवरी पत्नी दाना
3. नानूराम पुत्र दाना,
4. रामकरण पुत्र दाना,
5. बलभाराम पुत्र दाना,
6. हरि पुत्र दाना,समस्त जाति जाट, निवासीगण खाजपुरा, तहसील रूपनगढ,जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. सुखाराम पुत्र देवा
2. डालूराम पुत्र देवा
3. गयानी पत्नी सांवता,
4. मोहनी देवी पुत्री सांवता
5. मिरकी पुत्री सांवता
6. मोगादेवी पुत्री सांवता
7. सुप्यार पुत्री सांवता
8. संतोष पुत्री सांवता
9. रामदेव पुत्र सांवता

   समस्त जाति जाट, निवासीगणखाजपुरा, तहसील रूपनगढ,जिला अजमेर।
10. भंवरी पुत्री दाना, पत्नी मोहन मुरावतिया, जाति जाट, निवासी हाल भैरवाई, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रूपनगढ जिला अजमेर जरिए शाखा प्रबंधक।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2022 राजस्व वाद संख्या 02/2020

उपस्थितः–

1. श्री, शंकरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, हसन खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8.
3. श्री, विमल किशोर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9.
4. श्री, अरविंद दाधीच, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11.
5. रेस्पोडेंट संख्या 10 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः– 21.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम खाजपुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर में रेस्पाडेंट संख्या 1 लगायत 9 की आराजी खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 205 रकबा 2.1923 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी के उत्तर दिशा में वर्तमान अपीलांटस की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 स्थित हे। तथ्ता अंत में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 की आराजी खसरा नम्बर 205 तक पहुंचने हेतु वर्तमान अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 198 में से होकर रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 194 तक 12 फीट चौडा रास्ता कायम किए जाने तथा राजस्व रिकार्ड में तरमीम किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों से इंकार किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना विवादित निर्णय दिनांक 16.82022 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 14/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2004 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 10 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 ने वर्तमान अपीलांटस की आराजी में जिस स्थान पर रास्ता होना व उपयोग मे लेना बताया है उस स्थान पर अपीलांटस के पक्के मकानात बने हुए है और रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 का रास्ता खसरा नम्बर 206 में से होकर आते जाते हैं, और उक्त रास्ता ही लघुत्तम व सहज है। जिसकी पुष्टि पटवारी रिपोर्ट से होती है, परंतु खसरा नम्बर 206 के खातेदार को रेस्पोडेट संख्या 1 लगायत 9 ने पक्षकार ही नहीं बनाया है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 206 के खातेदार प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किए जाने योग्य था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 16.8. 2022 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 के आधार पर विवादित निर्णय पारित किया है वह मौका रिपोर्ट वर्तमान अपीलांटस की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे एक तरफा में तैयार की गई थी। उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने बाबत वर्तमान अपीलांटस को उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की गई। जबकि उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई एल आर के द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किए जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांटस की अनुपस्थिति में तैयार किए जाने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नहीं की जा सकती है। तहसील कार्यालय में बैठकर ही रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार ही उनके पक्ष में रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी,रूपनगढ द्वारा जो रास्ता प्रदान किया गया है वह रास्ता अपीलांटस के खेत के बीच में से दिया गया है, जिससे अपीलांटस के खेत के दो टुकडें हो गए है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसरण में

Scanned with CamScanner

किसी भी व्यक्ति के खेत के बीच में से कोई रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार ने जब अपना जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट अंकित किया था कि मौका अनुसार खसरा नम्बर 198 की दक्षिण पश्चिमी कौने में पक्का निर्माण हो रखा है। अतः प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा चाहे गए अनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.8.2022 पारित किया गया। वर्तमान अपीलांटस ने उनके समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया था कि अपीलांटस की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, और वहां पर अपीलांटस के पक्के मकान बने हुए हैं और रेस्पोडेंटस 1 लगायत 9 खसरा नम्बर 206 में से होकर आते–जाते रहे है, और खसरा नम्बर 206 में से ही सुलभ व लघुत्तम रास्ता है, इसलिए वैकल्पिक रास्ता होने के कारण रेस्पोडेंटस को नवीन रास्ता लेने के हकदार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ, द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ, द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.2022 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के आदेश दिनांक 16.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1से 08, 11 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 205 रकबा 2.1923 है0 भूमि खाजपुरा पटवार हल्का जाजोता तहसील रूपनगढ में अवस्थित है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 205 के उत्तर दिशा में प्राथीगण की निजी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 में से दक्षिण दिशा की सींव मेंड के सहारे अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 की दक्षिण सींव मेंड़ के सहारे होते हुए उसके आगे लगता हुआ रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 194 को जोडता है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 से लगती हुई प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 की उत्तर दिशा की सीमा सीव, मेड डोल के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 194 तक चाहते है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 की सींव मेड के सहारे होते हुए अपने खेत तक आ जा सकते है जो रास्ता सुगम, सुलभ व निकटतम रास्ता है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। अप्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 205 तक की पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता नहीं है वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 12 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। ग्राम खाजपुरा के खसरा नम्बर 194 के पास में खसरा नम्बर 206 के खातेदार ने मौके पर कृषि भूमि पर मकान, पानी का हौज, कुआं व एक देवस्थान स्थापित किया हुआ है, इसलिए खसरा नम्बर 206 से रास्ते की मांग नहीं की गई है। अप्रार्थीगण के पूर्वज भी प्रार्थी की भूमि की दक्षिणी सींव मेड के सहारे–सहारे अप्रार्थी की खसरा नम्बर 205 तक आते–जाते रहे हैं। मांगे गये रास्ते बाबत् तहसीलदार, रूपनगढ़ के द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका देख

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कर मौके के अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि मौका रिपोर्ट विधिवत् नही है, गलत है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, के निर्देशानुसार ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के निकटतम व सुगम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 198 में से ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा पारित निर्णय राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 की पालना में है। उक्त रास्ते के संदर्भ में 2 बार रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.12.2020 व आई.एल. आर. रिपोर्ट दिनांक 13.08.2020 से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत् नया रास्ता स्वीकृत करने के लिए चार आवश्यक तत्व हैः–1. आवश्यकता आवश्यक है (Necessity is absolute Necessary) 2. दूसरा उपलब्ध नहीं है (Absent of the alternative is Means of access.) 3. लघुत्तम (Shortest) 4. सुविधा के अनुसार (Convenient injoyment) को ध्यान में रखते किया गया है। रास्ता खसरा नम्बर 198 से मांगा गया है इसलिए किसी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है, क्योंकि खसरा नम्बर 198 के खातेदार प्रकरण में पक्षकार है। तहसीलदार, रूपनगढ़ के द्वारा स्वयं के द्वारा मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2021 को अप्रार्थीगण की ओर से आपत्ति कमिश्नर रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2021को प्रस्तुत कर दिनांक 24.03.2021 को आपत्ति पर सुनवाई की जाकर आपत्ति कमिश्नर रिपोर्ट का निस्तारण किया जाकर ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिवत् निस्तारण किया गया है।अपीलांट ने अपील में साबित नहीं कर पाये कि दिया गया रास्ता किस प्रकार से नियमों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 विधिवत् होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner